आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / आकाशि / विविध / 14 / 949 दिनांकः 4 सितम्बर, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (रूक्टा) के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार में अकादमिक अवकाश बाबत।
सन्दर्भ : रूक्टा के पत्रांक रूक्टा / 2019 / 0048 दिनांक 03.09.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि शिक्षक दिवस 05.09.2019 को राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय, चौमूं की रूक्टा इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से महाविद्यालय शिक्षक संघ (रूक्टा) के तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय सेमिनार निम्नानुसार आयोज्य हैः–

विषय	स्थान	दिनांक
भारत और भारतीयता : वैचारिक पृष्ठभूमि और भविष्य	राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा	05.09.2019

उक्त सेमिनार में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानों एवं आयुक्तालय के पत्रांक एफ8(सेमिनार)अकाद / निकाशि / 2012 / II / 614 दिनांक 11.12.2013 के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्राचार्यो द्वारा एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 4 दिवस का विशेष आकस्मिक (अकादमिक) अवकाश स्वीकृत करने की नियमानुसार अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त दिवस का उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्त अवकाश का लाभ देय होगा।

उक्त सेमिनार में भाग लेने वाले अधिकारियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

भवदीय

4.9.19

(डॉ0 आर0सी0मीना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद / आकाशि / विविध / 14 / 949 दिनांकः 4 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. महामंत्री, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ II-E-317 जयनारायण व्यास नगर, बीकानेर को उनके पत्रांक रूक्टा / 2019 / 0048 दिनांक 03.09.2019 के क्रम में।
3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा।

4.9.19

(डॉ0 आर0सी0मीना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)